न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 40/2022

पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम0आई0 रोड, जयपुर अधिकृत अधिकारी अभय जोन

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री कल्याणसहाय शर्मा,
आवासीय पता–ग्राम पोस्ट बनियाना, लवाण रोड, जिला दौसा राजस्थान।
कार्यालय पता–राजकीय कन्या विधालय, दौसा राजस्थान
सम्पत्ति पता– ग्राम व पोस्ट बनियाना, लवाण रोड, दौसा राजस्थान।

.....ऋणी

2. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री रामगोपाल शर्मा,
आवासीय पता–ग्राम पोस्ट बनियाना, लवाण रोड, जिला दौसा राजस्थान।

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित : श्री महेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 05.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने अप्रार्थी/ऋणी श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री कल्याणसहाय शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट बनियाना, लवाण रोड, जिला दौसा राजस्थान को 3,00,000/–(रूपये तीन लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी पिरामल [illegible] फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को [illegible]। हमने प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। [illegible] द्वारा प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

प्रार्थना पत्र सं0 40/2022

के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति जो ग्राम पोस्ट बनियाना, लवाण रोड, दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 177.7 वर्गगज है जो कि श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री कल्याणसहाय शर्मा के नाम से है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05 अगस्त 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested